न्यायालय जिला कलक्टर,भरतपुर

प्रा0पत्र / ई.सी.एक्ट / 08 / 2025

राज.सरकार जरिये प्रदीप शर्मा, प्रवर्तन अधिकारी, कार्यालय जिला रसद अधिकारी भरतपुर

......प्रार्थी

बनाम

1—श्री श्याम सैनी पुत्र रमेश सैनी निवासी सैनी मौहल्ला, ए.जे. हॉस्पीटल के पीछे भरतपुर

2—श्री रामप्रसाद पुत्र गुल्ले जाति गुर्जर निवासी कनवाडा, कांमा

3—श्री अरुण पुत्र अमरचंद जाति ब्राहम्ण निवासी कनवाडा कांमा,

4—श्री राधाकृष्ण पुत्र फत्तेराम जाति गुर्जर निवासी हयातपुर बेढम, डीग

.......अप्रार्थी0

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955, सपठित द्रवित पैट्रोलियम गैस (प्रदाय एवं वितरण का विनियमन) आदेश 2000

उपस्थित :—

1—पैरोकार सरकार रसद — प्रार्थी

2—श्री पंकज कुमार अभिभाषक, (वाहन मालिक सुपुर्दगार प्रार्थी)

3—श्री पुष्पेन्द्र तिवारी, अभिभाषक

निर्णय **दिनांक 06.08.2025**

प्रार्थी द्वारा यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6ए ईसी एक्ट पेश किया गया है। संक्षेप में प्रकरण इस प्रकार है कि दिनांक 17.03.2025 को प्राप्त सूचना के आधार पर जिला रसद अधिकारी भरतपुर के निर्देशन में प्रवर्तन स्टाफ द्वारा एम.जे.हॉस्पीटल भरतपुर के पीछे स्थित श्याम सैनी पुत्र रमेश सैनी के घर पर पहुंच कर कार्यवाही की गई। वक्त जांच मौके पर 14.2 किग्रा. भराव क्षमता के 12 सिलेण्डर एवं 10 किग्रा भराव क्षमता के 10 सिलेण्डर एवं चार विधुत चलित मोटर मय नली एवं एक इलैक्ट्रेनिक कांटा तथा एक मारुती ईको नं. आरजे 05 सीसी 4878 एवं एक स्विफ्ट डिजायर नम्बर डीएल 11 सीए 0426 मौजूद मिले। मौके पर उक्त दोनों वाहनों में 14.2 किग्रा के भराव क्षमता के 02 घरेलू गैस सिलेण्डरों को उल्टा करके विधुत चलित मोटर को अपने भाई अखलेश के घर से बिजली के तार द्वारा जोडकर नली के माध्यम से गैस का हस्तानान्तरण करता हुआ मौके पर पाया गया एवं 20 घरेलू गैस सिलेण्डर अवैध रुप से श्याम सैनी के मकान पर भण्डारित पाये गये। मौके पर उक्त 22 घरेलू गैस सिलेण्डरों के अवैध संग्रहण, भण्डारण बाबत कोई दस्तावेज

..........2

जिला कलक्टर
भरतपुर

प्रस्तुत नहीं किये गये। अप्रार्थी का यह कृत्य द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय एवं वितरण का विनियमन) आदेश 2000 एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 का स्पष्ट उल्लंघन पाया गया है, मौके पर जप्त सभी घरेलू गैस सिलेण्डरों तथा चार विधुत चलित मोटर मय नली एवं एक इलेक्ट्रानिक कांटे को एवं एक मारुती ईको नं. आरजे05 सीसी 4878 व एक स्विफ्ट डिजायर नं. डीएल 11 सीए 0426 को राजसात किये जाने की प्रार्थना की है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी. को नोटिस धारा 6बी ई0सी0 एक्ट जारी किये गये। अप्राथी संख्या–1 की ओर से एड0 विवेक हथैनी का वकालतनामा पेश हुआ जो शामिल मिसिल है तथा अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से जवाब पेश किया गया है जो शामिल मिसिल है। आज अप्रार्थी–1 एवं उसके वकील उपस्थित नहीं आये हैं।

जप्त वाहन मारुती ईको नं. आजे05 सीसी 4878 के लिये श्री देवेन्द्र पुत्र भूरा निवासी बरोलीघाऊ तहसील कांमा का वाहन सुपुर्दगी हेतु प्रार्थना पत्र पेश हुआ तथा एड0 पंकज कुमार ने वकालतनामा पेश हुआ तथा जप्त वाहन स्विफ्ट डिजायर नं. डीएल 11 सीए 0426 की सुपुर्दगी के लिये सुरेन्द्र सिंह पुत्र कुंवर सिंह निवासी ग्रांम थून पोस्ट थून तहसील नगर ने प्रार्थना पत्र पेश किया तथा इनकी ओर से एड. पुष्पेन्द्र तिवारी वगे. का वकालतनामा पेश हुआ जो शामिल पत्रावली किये गये।

उपस्थित योग्य अभिभाषक अप्रार्थी एवं पैरोकार रसद की बहस सुनी गई। पैरोकार रसद ने अपने प्रार्थना पत्र में अंकित कथनों को दौहराते हुये जाहिर किया कि दिनांक 17.03.2025 को प्राप्त सूचना के आधार पर जिला रसद अधिकारी भरतपुर के निर्देशन में प्रवर्तन स्टाफ द्वारा एम.जे.हॉस्पीटल के पीछे स्थित अप्रार्थी संख्या–1 श्याम सैनी पुत्र रमेश सैनी के घर पर पहुंच कर जांच की गई, वक्त जांच मौके पर 14.2 किग्रा. भराव क्षमता के 12 घरेलू गैस सिलेण्डर एवं 10 किग्रा भराव क्षमता के 10 सिलेण्डर एवं चार विधुत चलित मोटर मय नली एवं एक इलैक्ट्रेनिक कांटा तथा एक मारुती ईको नं. आरजे 05 सीसी 4878 एवं एक स्विफट डिजायर नम्बर डीएल 11 सीए 0426 मौजूद मिले। पैरोकार रसद ने बताया कि मौके पर उक्त दोनों वाहनों में 14.2 किग्रा के 02 घरेलू गैस सिलेण्डरों से विधुत चलित मोटर को अपने भाई अखलेश के घर से बिजली के तार द्वारा जोडकर नली के माध्यम से गैस का हस्तानान्तरण करते हुये पाया गया, अप्रार्थी घरेलू गैस सिलेण्डरों से अवैधरूप से वाहनों में एलपीजी भरने का कार्य व्यावसायिक गतिविधि के लिये कर रहा था। पैरोकार रसद का यह भी कहना है कि वाहनों में गैस सप्लाई हेतु लगे दो घरेलू गैस

..........3

जिला कलक्टर
भरतपुर

सिलेण्डरों के अलावा अप्रार्थी के मकान से 20 घरेलू गैस सिलेण्डर वक्त जांच और जप्त किये गये थे। जप्त घरेलू गैस सिलेण्डरों के भण्डारण के बावत अप्रार्थी ने कोई वैध दस्तावेज वगे. पेश नहीं किये गये हैं। उनका कहना है कि अप्रार्थी का यह कृत्य द्रवित पैट्रोलियम गैस (प्रदाय एवं वितरण का विनियमन) आदेश 2000 के खण्ड 3 (ग) का उल्लंघन है अतः मोके पर जप्त घरेलू गैस सिलेण्डर 14.2 किग्रा क्षमता के 12 गैस सिलेण्डर एवं 10 किग्रा भराव क्षमत के 10 घरेलू सिलेण्डर कुल 22 घरेलू गैस सिलेण्डर एवं मौके पर जप्त दो वाहन एवं चार विधुत चलित मोटर मय नली, एक इलेक्ट्रोनिक कांटा वगे. को राजसात किये जाने की प्रार्थना की।

योग्य अभिभाषक श्री पंकज कुमार, वाहन सुपुर्दगार का कहना है कि रसद विभाग द्वारा की गई कार्यवाही के दौराने प्रार्थी का वाहन संख्या आरजे 05 सीसी 4878 को भी जप्त किया गया है। योग्य अभिभाषक सुपुर्दगार ने बताया कि प्रार्थी को इस बाबत जानकारी नहीं थी कि दुकान पर अवैध गैस हस्तान्तरण किया जा रहा है उसे यह यकीन दिलाया गया कि वैध अनुज्ञापत्र के तहत ही वाहनों में गैस हस्तान्तरण किया जा रहा है। इसलिए प्रार्थी विश्वास में अपने वाहन में गैस भरवा रहा था। भविष्य में इस प्रकार की कोई गलती नहीं होगी। जप्त वाहन को सुपुर्दगी में दिया जावे न्यायालय जो भी शर्त लगायेगा प्रार्थी उसकी पालना करेगा।

योग्य अभिभाषक पुष्पेन्द्र तिवारी वाहन सुपुर्दगार का कहना है कि रसद विभाग द्वारा की गई कार्यवाही के दौराने प्रार्थी का वाहन संख्या स्विफ्ट डिजायर नम्बर डीएल 11 सीए 0426 को भी जप्त किया गया है। प्रार्थी सुरेन्द्र सिह पुत्र कंवर सिंह निवासी ग्रांम थून पोस्ट थून तहसील नगर जिला डीग जरिये मुखत्यारनामाआम राकेश कसाना पुत्र फतेराम आयु 29 साल जाति गुर्जर निवासी ग्रांम हयातपुर पोस्ट जटेरी तहसील व जिला डीग वाहन मालिक है। योग्य अभिभाषक ने बताया कि उसे दुकान पर अवैध गैस रिफलिंग के बारे में जानकारी नहीं थी, उसे तो बताया कि वैध लाईसेन्स के तहत गैस भरी जा रही है। प्रार्थी का वाहन थाने में खड़ा है। वाहन को प्रार्थी की सुपुर्दगी दिये जाने की प्रार्थना की, तथा न्यायालय जो भी शर्त तय करेगा प्रार्थी को स्वीकार होगी।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। पैरोकार रसद एवं उपस्थित योग्य अभिभाषक अप्रार्थी के कथनों पर मनन किया। अप्रार्थी संख्या–1 श्याम सैनी पुत्र रमेश सैनी या उनके अभिभाषक उपस्थित नहीं आये। पत्रावली पर उपलब्ध अप्रार्थी संख्या –1 श्याम सैनी द्वारा प्रस्तुत जबाब का अवलोकन किया गया, जबाब में श्री श्याम सैनी ने सभी आरोपों को अस्वीकार कीया है तथा अपने को निर्दोष बताते हुये

..........4

जिला कलक्टर
भरतपुर

झूँठा फसाया जाना अंकित करते हुये कार्यवाही समाप्त किये जाने की प्रार्थना की गई है। अप्रार्थी श्याम सैनी पुत्र रमेश सैनी का यह जवाब तथ्यों के विपरीत है क्योंकि वक्त जांच मौके प्रवर्तन स्टाफ रसद द्वारा की कार्यवाही जांच एवं फर्द मौका के अवलोकन से जाहिर है कि तैयार की गई फर्द मौका नजरी नक्शा में वक्त जांच मौके पर उपस्थित गवाहान के हस्ताक्षर के साथ अप्रार्थी श्याम सैनी पुत्र रमेश सैनी के हस्ताक्षर भी हो रहे हैं, अप्रार्थी श्याम सैनी ने फर्द कार्यवाही पर अपनी कोई उज्रदारी दर्ज नहीं कराई है, तथा श्याम सैनी द्वारा हस्ताक्षर करना यह स्पष्ट करता है कि वह (अप्रार्थी श्याम सैनी) उक्त कार्यवाही से सहमत है। यहॉ यह भी उल्लेखनीय है कि मौके पर जप्त वाहनों में घरेलू गैस सिलेण्डर से दो वाहनों में गैस रिफलिंग (हस्तान्तरण) किया जाना स्वयं वाहन सुपुर्दगारान ने स्वीकार किया है तथा मौके पर वाहनों में गैस हस्तान्तरण में उपयोग में लिया जा रहा सामान यथा चार विधुत चलित मोटर मय नली, एक इलैक्ट्रनिक कांटा मिलना भी घरेलू गैस सिलेण्डरों से वाहनों में गैस हस्तान्तरण करना साबित करता है। उक्त विवेचन से यह निर्विवाद है कि अप्रार्थी घरेलू गैस सिलेण्डरों से अवैध रुप से वाहनों में गैस हस्तान्तरण के कृत्य में लिप्त है। अप्रार्थी के यहॉ मौके पर घरेलू गैस सिलेण्डर 14.2 किग्रा क्षमता के 12 गैस सिलेण्डर एवं 10 किग्रा भराव क्षमत के 10 घरेलू सिलेण्डर कुल 22 घरेलू गैस सिलेण्डर अवैध रुप से भण्डारण पाये गये हैं। अप्रार्थी का यह कृत्य द्रवित पैट्रोलियम गैस (प्रदाय एवं वितरण का विनियमन) आदेश 2000 के खण्ड 3 (ग) का स्पष्ट उल्लंघन है। मौके पर जप्त 14.2 किग्रा भराव क्षमता के 12 सिलेण्डर एवं 10 किग्रा भराव क्षमता के 10 घरेलू गैस सिलेण्डर कुल 22 घरेलू गैस सिलेण्डर एवं चार विधुत चलित मोटर मय नली, एक इलैक्ट्रनिक कांटा राजसात (Confiscate) किया जाना उचित पाते हैं। जप्त दोनों वाहन मौके पर घरेलू गैस सिलेण्डरों से अपने वाहन में अवैध रुप से घरेलू गैस हस्तान्तरण में लिप्त पाये गये हैं अतः प्रत्येक वाहन पर राशि 5000–5000 रुपये की शास्ति कायम किया जाना भी उचित होगा। जहॉ तक प्रश्न वाहनों की सुपुर्दगी प्रार्थना पत्र का है उक्त प्रकरण में थाना मथुरा गेट भरतपुर में प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 0156/2025 दिनांक 17.3.2025 दर्ज है अनुसंधान को मध्य नजर रखते हुये जप्त दोनों वाहन को सशर्त सुपुर्दगी में दिया जाना उचित पाते हैं।

अतः आदेश है कि :–

उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थना पत्र धारा 6ए ईसी एक्ट स्वीकार किया जाता है। मौके पर जप्त 14.2 किग्रा क्षमता के 12 घरेलू गैस सिलेण्डर एवं 10 किग्रा भराव क्षमता के 10 घरेलू सिलेण्डर कुल 22 घरेलू गैस सिलेण्डर एवं चार विधुत चलित

..........5

जिला कलक्टर
भरतपुर

प्रा0पत्र / 08 / 2025
प्रवर्तन अधिकारी रसद बनाम श्याम सैनी वगै0

मोटर मय नली, एक इलैक्ट्रनिक कांटा राजसात (Confiscate) किया जाता है। जिला रसद अधिकारी भरतपुर को निर्देशित किया जाता है कि जप्त घरेलू गैस सिलेण्डरों को सम्बन्धित गैस कम्पनी में जमा करावें तथा खाद्य एवं नागरिक रसद विभाग के पत्रांक 86 (23)खा0ले0 / 6 / 89 जयपुर दिनांक 20.10.2000 के परिप्रेक्ष्य में उक्त गैस कम्पनी / आयल कम्पनी गैस सिलेन्डर से जो धन राशि प्राप्त होगी वह धन राशि, कम्पनी द्वारा राजकोष में जमा कराई जावे।

यदि जप्त वाहन डीएल 11 सीए 0426 एवं वाहन संख्या आरजे 05 सीसी 4878 के वाहन स्वामी शास्ति राशि 5000 / – (प्रत्येक) जमा कराने के उपरान्त यदि 100000 / – (एक लाख रुपये) का जमानतनामा एवं इतनी ही राशि का सुपुर्दनामा (प्रत्येक) इन शर्तों का पेश करें, कि वह वाहन को दौराने मुकदमा दीगर जगह बेचान / खुर्दबुर्द नहीं करेगा, वाहन का रंग वगे. नहीं बदलेगा एवं न्यायालय द्वारा चाहे जाने पर स्वयं के खर्चे पर वाहन को न्यायालय में पेश करेगा, तो जप्त वाहन को सुपुर्दगी में दिया जावे। निर्णय की प्रति जिला रसद अधिकारी भरतपुर को प्रेषित हो।

निर्णय आज दिनांक 06.08.2025 को लिखाया जाकर सुनाया गया।

(कमर उल जमान चौधरी)
जिला कलक्टर,
भरतपुर